संख्या-2/2015/2960 सी0डी0/46-3-14-1000(73)/2013

प्रेषक

राम मोहन सक्सेना
विशेष् सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
शामली, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, लखीमपुर, सीतापुर, गोण्डा, उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 05 जनवरी, 2015

विषय-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तग्र्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कार्ययोजना की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2350 सी0डी0/46-3-14-1000(73)/2013, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2452 सी0डी0/46-3-14-1000(73)/2013, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 के में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तग्र्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत शासनादेश के संलग्नक-1 में उल्लिखित 15 कार्यों हेतु उनके सामने कालम-6 में अंकित धनराशि के अनुसार कुल रू0 7,19,68,600.00 (रू0 सात करोड़ उन्नीस लाख अडसठ हजार छ सौ मात्र) की कार्ययोजना एवं उक्त के सापेक्ष निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत धनराशि रू0 5,55,34,000.00 (रू0 पांच करोड़ पचपन लाख चौतीस हजार मात्र) का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,00,000.00 (रू0 पांच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एवं अवशेष राज्यांश की धनराशि रू0 55,34,000.00 (रू0 पचपन लाख चौतीस हजार मात्र) को संलग्नक-2 के अनुसार शासनादेश संख्या 2452 सी0डी0/46-3-14-1000(73)/2013, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना में जनपद लखीमपुर एवं सीतापुर में, भौतिक लक्ष्य/वित्तीय लागत में परिवर्तन होने के कारण, हो रही बचत की धनराशि रू0 55,34,000.00 (रू0 पचपन लाख चौतीस हजार मात्र) से वहन किये जाने तथा जनपद लखीमपुर एवं सीतापुर हेतु अनुमोदित कार्ययोजना व राज्यांश की धनराशि के स्थान पर शासनादेश के संलग्नक-3 के अनुसार संशोधित राज्यांश एवं कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आवंटन किया गया है।

2- तदनुसार पूवोक्त शासनादेश दिनांक 30 सितम्बर, 2014 एवं 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना में से, जनपद लखीमपुर एवं सीतापुर की कार्ययोजना के स्थान पर इस शासनादेश के संलग्नक-3 के अनुसार संशोधित/प्रतिस्थापित माना जायेगा।

3- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा संबंधित गन्ना संस्थाओं से अपेक्षित 20 प्रतिशत अंश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय अंश का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

4- स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाती है तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुये संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जाये।

5- कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरान्त प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति तथा सड़कों के आगणनों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष सड़कों का निर्माण कार्य कराया जायेगा। विस्तृत आगणन यदि मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते है तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा।

6- स्वीकृत कार्यों हेतु चयनित भूमि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वह भूमि निर्विवादित हो। यदि किसी विभाग अथवा संस्था के क्षेत्र में सड़क के निर्माण हेतु भूमि का चयन किया जाता है तो संबंधित विभाग/संस्था की अनापत्ति कार्य प्रारम्भ के पूर्व ही प्राप्त कर ली जाये।

7- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जाय। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष विभागीय अंशदान को सम्मिलित करते हुये जिला अनुश्रवण समिति से कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करते हुये अतिरिक्त कार्य कराया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

8- समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था गन्ना विकास विभाग की अभियन्त्रण शाखा होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों एवं मात्रा के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में ही सम्पादित कराये जाय। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाये।

9- वर्तमान में प्रभावी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 की व्यवस्थानुसार सेण्टेज चार्जेज की धनराशि अनुमन्य होगी।

10- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में से **संलग्नक-1** के स्तम्भ-8 में अंकित सेन्टेज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था अभियन्त्रण शाखा, गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि कोषागार से आहरित करते हुये गन्ना विकास परिषदों को स्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

11- उक्त स्वीकृति धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.07.2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014 दिनांक 28.11.2014 तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों, बजट-मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों आदि के प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक पी0एल0ए0 अथवा पोस्टआफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्यस्थल पर राज्यस्तरीय टास्कफोर्स द्वारा नियम ''डिस्पले बोर्ड'' पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

15- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत पूँजी लेखा शीर्षक-''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत 04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

16- यह आदेश (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22-07-2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014 दिनांक 28.11.2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष् सचिव।

संख्या-2/2015/2960(1)सी0डी0/46-3-14-1000(73)/2013-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।
4- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
10- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
12- गार्ड फाइल।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष् सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-1

शासनादेश संख्या-2/2015/2960 सी0डी0/46-3-14-1000(73)/2013-दिनांक 05 जनवरी, 2015 का संलग्नक

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सड़क का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)	राज्यांश (लाख रूपये में)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.11के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शामली	1	भैसानी गोगवा मार्ग धर्मकाटा से गाव भैसानी	0.450	19.180	14.80	1.64	13.16
		1	**जनपद शामली का योग**	**0.450**	**19.180**	**14.80**	**1.64**	**13.16**
2	मेरठ	1	ढिडाला मौहि0पुर सिवाल खास मार्ग से राधा किशन आई0टी0आई0 की ओर	0.225	9.485	7.30	0.81	6.49
		2	सकौती मन्डेरा से मदारीपुर मार्ग	0.748	33.746	26.00	2.89	23.11
		2	**जनपद मेरठ का योग**	**0.973**	**43.231**	**33.30**	**3.70**	**29.60**
3	बुलन्दशहर	**1**	शिवाली मंगलौर रोड से सलेमगढ़ सम्पर्क मार्ग	1.000	47.995	37.00	4.11	32.89
		1	**जनपद बुलन्दशहर का योग**	**1.000**	**47.995**	**37.00**	**4.11**	**32.89**
4	अलीगढ़	1	पनेठी साधू आश्रम रोड से ढसन्ना मार्ग	1.000	48.140	37.20	4.13	33.07
		1	**जनपद अलीगढ़ का योग**	**1.000**	**48.140**	**37.20**	**4.13**	**33.07**
5	लखीमपुर	1	टापरपुरवा से नरेन्द्रनगर बसा◌ावट	1.250	63.200	48.80	5.42	43.38
		2	रमुवापुर मार्ग से मुर्तिहा बसावट	1.100	54.030	41.70	4.63	37.07
		3	मदनापुर से लालबोझी बसावट	0.850	55.100	42.50	4.72	37.78
		4	रमुवापुर मार्ग से मुराउनपुरवा बसावट	1.050	52.460	40.50	4.50	36.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सड़क का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)	राज्यांश (लाख रूपये में)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.11के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5	मोहम्मदी शेखापुर मार्ग से बेनी बसावट	1.100	62.380	48.10	5.34	42.76
		6	मोहम्मदी बरबर मार्ग से अलीनगर बसावट	1.050	52.610	40.60	4.51	36.09
		6	**जनपद लखीमपुर का योग**	**6.400**	**339.780**	**262.20**	**29.12**	**233.08**
6	सीतापुर	1	कुतुबनगर दूधनामऊ रोड से लोहारखेड़ा बसावट	1.600	82.360	63.60	7.07	56.53
		1	**जनपद सीतापुर का योग**	**1.600**	**82.360**	**63.60**	**7.07**	**56.53**
7	गोण्डा	1	डुमरियागंज मोतीगंज मार्ग से मझगंवा बाजर तक बसावट	0.615	34.610	26.70	2.97	23.73
		2	झिलाही वजीरगंज मार्ग से चन्दामऊ तक बसावट	0.950	55.370	42.70	4.74	37.96
		3	सोलिया सागरगढ़ मार्ग से तिलहवा तक बसावट	0.900	49.020	37.84	4.20	33.64
		3	**जनपद गोण्डा का योग**	**2.465**	**139.000**	**107.24**	**11.91**	**95.33**
		15	**महायोग**	**13.888**	**719.686**	**555.340**	**61.680**	**493.660**

(रू0 पांच करोड़ पचपन लाख चौतीस हजार मात्र)

आज्ञा से

(राम मोहन सक्सेना)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-2

शासनादेश संख्या-2/2015/2960 सी0डी0/46-3-14-1000(73)/2013-दिनांक 05 जनवरी, 2015 का संलग्नक

क्र0 सं0	परिक्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	संख्या	सम्पर्क मार्ग का नाम	शासनादेश दि0 14.10.14 में स्वीकृत				संशोधित आगणन के अनुसार			देय राज्यांश		संशोधन का कारण
					जनपद में मार्ग की क्रम संख्या	लम्बाई (कि0 मी0)	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)	राज्यांश (लाख रूपये में)	लम्बाई (कि0मी0)	अनुमानित लागत (लाख रूपयें में)	राज्यांश (लाख रूपयें में)	बचत	देय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	लखनऊ	लखीमपुर	1	जटपुरवा कफारा मार्ग से सुखानीपुरवा	11	0.850	42.170	33.31	0.850	37.587	28.90	4.41	0.00	निविदा दर 11.11 प्रतिशत कम पर होने के कारण बचत।
			2	नौगवां सम्पर्क मार्ग	24	0.600	29.120	23.00	0.600	26.854	20.65	2.35	0.00	निविदा दर 12 प्रतिशत कम पर होने के कारण बचत।
			3	रतनापुर सम्पर्क मार्ग	21	0.320	14.910	11.78	0.320	14.024	10.80	0.98	0.00	निविदा दर 9.9 प्रतिशत कम पर होने के कारण बचत।
			4	अमृतापुर रोड से सोनपीपर मार्ग	22	0.300	14.460	11.42	0.300	13.467	10.35	1.07	0.00	निविदा दर 11 प्रतिशत कम पर होने के कारण बचत।
			5	हुलासीपुरवा मार्ग से धन्नापुरवा	3	0.290	14.790	11.68	0.290	14.254	10.95	0.73	0.00	निविदा दर 1.75 प्रतिशत कम पर होने के कारण बचत।
			6	डांगा सिसवारी मार्ग से बादलपुरवा	4	0.270	15.070	11.91	0.270	14.618	11.25	0.66	0.00	निविदा दर 1.4 प्रतिशत कम पर होने के कारण बचत।
				योग जनपद लखीमपुर -		**2.630**	**130.520**	**103.10**	**2.630**	**120.804**	**92.90**	**10.20**	**0.00**	
2		सीतापुर	1	पलौली मार्ग से शीतलपुरवा सम्पर्क मार्ग	14	0.350	22.210	17.55	0.250	12.650	9.70	7.85	0.00	कम लम्बाई में संतृप्त होने के कारण बचत।
			2	बरगदिया सम्पर्क मार्ग	13	0.200	13.380	10.57	0.000	0.000	0.00	10.57	0.00	अन्य विभाग द्वारा संतृप्तीकरण के कारण बचत।
			3	पाण्डेय खेड़ा सम्पर्क मार्ग	4	0.210	10.630	8.40	0.000	0.000	0.00	8.40	0.00	ग्राम संतृप्त होने से बचत।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	परिक्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	संख्या	सम्पर्क मार्ग का नाम	शासनादेश दि0 14.10.14 में स्वीकृत				संशोधित आगणन के अनुसार			देय राज्यांश		संशोधन का कारण
					जनपद में मार्ग की क्रम संख्या	लम्बाई (कि0 मी0)	अनुमानित लागत (लाख रूपये में)	राज्यांश (लाख रूपये में)	लम्बाई (कि0मी0)	अनुमानित लागत (लाख रूपयें में)	राज्यांश (लाख रूपयें में)	बचत	देय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4	उमरी कला सम्पर्क मार्ग	12	0.250	16.700	13.19	0.135	6.840	5.25	7.94	0.00	कम लम्बाई में संतृप्त होने के कारण बचत।
			5	गौरिया सम्पर्क मार्ग	17	0.900	47.910	37.85	0.900	43.120	33.20	4.65	0.00	सोलिग कोट में बचत के कारण बचत।
			6	मितौरा सम्पर्क मार्ग	15	0.490	28.040	22.15	0.640	34.500	26.50	0.00	4.35	ग्राम संतृप्त करने हेतु एलाइनमेन्ट में परिवर्तन के फलस्वरूप लम्बाई बढ़ जाने के कारण वृद्धि।
			7	बोहरा सम्पर्क मार्ग	7	0.560	37.440	29.58	0.400	25.490	19.50	10.08	0.00	कम लम्बाई में संतृप्त होने के कारण बचत।
				योग जनपद सीतापुर -		**2.960**	**176.310**	**139.29**	**2.325**	**122.600**	**94.15**	**49.49**	**4.35**	
				कुल योग		**5.590**	**306.830**	**242.39**	**4.955**	**243.404**	**187.05**	**59.69**	**4.35**	
				कुल बचत									**55.34**	

(रू0 पचपन लाख चौतीस हजार मात्र)

आज्ञा से

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-3

शासनादेश संख्या-2/2015/2960 सी0डी0/46-3-14-1000(73)/2013-दिनांक 05 जनवरी, 2015 का संलग्नक

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	शासनादेश दि0 14.10.14 में स्वीकृत					संशोधित आगणन के अनुसार				
				प्रस्तावित लम्बाई (कि0 मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश प्रतिशत (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.2011के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0 रू0)	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश प्रतिशत (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.11 के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	लखीमपुर	1	तेलियार देवीपुरवा मार्ग से भूवरपुरवा बसावट	0.200	12.650	9.99	1.11	8.88	0.200	12.650	9.99	1.11	8.88
		2	खैरीगढ़ से रहीमपुरवा बसावट	1.030	51.870	40.98	4.55	36.43	1.030	51.870	40.98	4.55	36.43
		3	हुलासीपुरवा मार्ग से धन्नापुरवा बसावट	0.290	14.790	11.68	1.30	10.38	0.290	14.254	10.95	1.22	9.73
		4	डांगा सिसवारी मार्ग से बादलपुरवा बसावट	0.270	15.070	11.91	1.32	10.59	0.270	14.618	11.25	1.25	10.00
		5	जुलाहनपुरवा सम्पर्क मार्ग बसावट	0.750	40.180	31.74	3.53	28.21	0.750	40.180	31.74	3.53	28.21
		6	कटैया से मिर्जागंज सम्पर्क मार्ग बसावट	1.000	49.890	39.41	4.38	35.03	1.000	49.890	39.41	4.38	35.03
		7	कटैया मिर्जागंज मार्ग से सेमरापुरवा सम्पर्क मार्ग बसावट	0.430	26.920	21.27	2.36	18.91	0.430	26.920	21.27	2.36	18.91
		8	मोतीपुर से बांकुआ बसावट	0.500	25.450	20.11	2.23	17.88	0.500	25.450	20.11	2.23	17.88
		9	बंधा पचपेड़ी मार्ग सरपतहा बसावट	0.540	29.640	23.42	2.60	20.82	0.540	29.640	23.42	2.60	20.82
		10	ईसानगर कबीरहा मार्ग से कोठारीपुरवा बसावट	0.750	37.440	29.58	3.29	26.29	0.750	37.440	29.58	3.29	26.29
		11	जटपुरवा कफारा मार्ग से सुखानीपुरवा बसावट	0.850	42.170	33.31	3.70	29.61	0.850	37.587	28.90	3.21	25.69
		12	पी0बी0 मार्ग से बोझिया बसावट	0.300	15.480	12.23	1.36	10.87	0.300	15.480	12.23	1.36	10.87
		13	पी0बी0 मार्ग से रेहुआ बसावट	0.300	16.060	12.69	1.41	11.28	0.300	16.060	12.69	1.41	11.28

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	शासनादेश दि0 14.10.14 में स्वीकृत					संशोधित आगणन के अनुसार				
				प्रस्तावित लम्बाई (कि0 मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश प्रतिशत (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.2011के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0 रू0)	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश प्रतिशत (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.11 के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
		14	राम नगर लहबड़ी रमियाबेहड़ मार्ग से जोधापुरवा बसावट	0.450	22.510	17.78	1.98	15.80	0.450	22.510	17.78	1.98	15.80
		15	धौरहरा लहबड़ी मार्ग से चमारनपुरवा बसावट	0.150	8.290	6.55	0.73	5.82	0.150	8.290	6.55	0.73	5.82
		16	सजईकुण्डा मार्ग से पण्डितपुरवा बसावट	0.450	23.300	18.41	2.05	16.36	0.450	23.300	18.41	2.05	16.36
		17	भूरा पिपरी रधौला मार्ग से अतसर बसावट	0.350	17.190	13.58	1.51	12.07	0.350	17.190	13.58	1.51	12.07
		18	मोहम्मदी पुवायां मार्ग से खजुहा बसावट	0.750	35.950	28.40	3.16	25.24	0.750	35.950	28.40	3.16	25.24
		19	सहदेवा मार्ग से रमुआपुर बसावट	0.250	12.070	9.54	1.06	8.48	0.250	12.070	9.54	1.06	8.48
		20	लोधियापुर चन्दला मार्ग से सिकतरा सम्पर्क मार्ग बसावट	0.200	10.130	8.00	0.89	7.11	0.200	10.130	8.00	0.89	7.11
		21	रतनापुर सम्पर्क मार्ग बसावट	0.320	14.910	11.78	1.31	10.47	0.320	14.024	10.80	1.20	9.60
		22	अमृतापुर रोड से सोनपीपर मार्ग बसावट	0.300	14.460	11.42	1.27	10.15	0.300	13.467	10.35	1.15	9.20
		23	पी0 डब्लू0 डी0 रोड से लखहा अलीगंज मार्ग बसावट	0.600	28.670	22.65	2.52	20.13	0.600	28.670	22.65	2.52	20.13
		24	नौगवें सम्पर्क मार्ग बसावट	0.600	29.120	23.00	2.56	20.44	0.600	26.854	20.65	2.29	18.36
		25	गोला लखीमपुर मार्ग से पचपेडवा सम्पर्क मार्ग बसावट	0.800	38.590	30.49	3.39	27.10	0.800	38.590	30.49	3.39	27.10
		25	**जनपद लखीमपुर का योग**	**12.43**	**632.800**	**499.92**	**55.57**	**444.35**	**12.43**	**623.084**	**489.72**	**54.43**	**435.29**
2	सीतापुर	1	गुरसण्डा रोड से शमशेरनगर बसावट	0.700	33.370	26.36	2.93	23.43	0.700	33.370	26.36	2.93	23.43
		2	सिधौली मिश्रिख रोड से काकोरी बसावट	0.450	20.560	16.24	1.80	14.44	0.450	20.560	16.24	1.80	14.44

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	शासनादेश दि0 14.10.14 में स्वीकृत					संशोधित आगणन के अनुसार				
				प्रस्तावित लम्बाई (कि0 मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश प्रतिशत (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.2011के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0 रू0)	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश प्रतिशत (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.11 के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
		3	जैनापुर रोड से पश्चिमीपुरवा बसावट	0.200	12.090	9.55	1.06	8.49	0.200	12.090	9.55	1.06	8.49
		4	पाण्डेखडा सम्पर्क मार्ग बसावट	0.210	10.630	8.40	0.93	7.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
		5	दौलतपुर सम्पर्क मार्ग बसावट	0.360	16.149	12.76	1.42	11.34	0.360	16.149	12.76	1.42	11.34
		6	अकबरपुर तालगांव मार्ग से दोस्तपुर बसावट	1.000	51.590	40.76	4.53	36.23	1.000	51.590	40.76	4.53	36.23
		7	बोहरा सम्पर्क मार्ग बसावट	0.560	37.440	29.58	3.29	26.29	0.400	25.490	19.50	2.17	17.33
		8	सरैया भटपुरवा सम्पर्क मार्ग बसावट	1.250	63.900	50.48	5.61	44.87	1.250	63.900	50.48	5.61	44.87
		9	रन्डा सम्पर्क मार्ग बसावट	0.360	18.020	14.24	1.58	12.66	0.360	18.020	14.24	1.58	12.66
		10	सिडकिरा सम्पर्क मार्ग बसावट	0.500	26.870	21.23	2.36	18.87	0.500	26.870	21.23	2.36	18.87
		11	अछाजनपुरवा सम्पर्क मार्ग बसावट	0.800	56.530	44.66	4.96	39.70	0.800	56.530	44.66	4.96	39.70
		12	उमरीकला सम्पर्क मार्ग बसावट	0.250	16.700	13.19	1.47	11.72	0.135	6.840	5.25	0.58	4.67
		13	बरगदिया सम्पर्क मार्ग बसावट	0.200	13.380	10.57	1.17	9.40	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00
		14	पलौली मार्ग से शीतलपुरवा बसावट	0.350	22.210	17.55	1.95	15.60	0.250	12.650	9.70	1.08	8.62
		15	मितौरा सम्पर्क मार्ग बसावट	0.490	28.040	22.15	2.46	19.69	0.640	34.500	26.50	2.94	23.56
		16	मिश्रिखा सम्पर्क मार्ग बसावट	0.500	25.670	20.28	2.25	18.03	0.500	25.670	20.28	2.25	18.03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	शासनादेश दि0 14.10.14 में स्वीकृत					संशोधित आगणन के अनुसार				
				प्रस्तावित लम्बाई (कि0 मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश प्रतिशत (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.2011के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0 रू0)	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश प्रतिशत (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.11 के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
		17	गौरिया सम्पर्क मार्ग बसावट	0.900	47.910	37.85	4.21	33.64	0.900	43.120	33.20	3.69	29.51
		18	सुहेला मार्ग से राजापुर बसावट	0.300	14.920	11.79	1.31	10.48	0.300	14.920	11.79	1.31	10.48
		18	**जनपद सीतापुर का योग**	**9.380**	**515.979**	**407.640**	**45.29**	**362.350**	**8.745**	**462.269**	**362.50**	**40.27**	**322.23**
		43	**महायोग**	**21.810**	**1148.779**	**907.560**	**100.86**	**806.700**	**21.18**	**1085.353**	**852.22**	**94.70**	**757.52**

(रू0 आठ करोड वाबन लाख वाइस हजार मात्र)

आज्ञा से

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in